कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

संख्याक: 12524-26 /2017-18 दिनांक 23-12-17

माध्यम – अंग्रेजी

प्रबन्धक,
बालाजी ग्लोबल एकेडमी जू0हा0स्कूल अहिरवा,
फर्दपुर रोड, मैनपुरी।

विषय:– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए 8निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख जुलाई, 2017 से अगस्त, 2017 तक के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **बालाजी ग्लोबल एकेडमी जू0हा0स्कूल अहिरवा, फर्दपुर रोड, मैनपुरी** को तारीख 12 दिसम्बर, 2017 से तारीख 11 दिसम्बर, 2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **प्री प्राइमरी से कक्षा 08** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

(i)– प्रवेश दिए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या, मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्ता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)– अध्यापक अधिनियम की धारा–24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii)–अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः—2.

कल्पना मिश्रा
Principal
BALAJI GLOBAL ACADEMY
Fardpur Road, Ahirwa (Mainpuri)

Manager
BALAJI GLOBAL ACADEMY
Fardpur Road, Ahirwa (Mainpuri)

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	6511.75 वर्गमीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	–	2047.35 वर्गमीटर
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल कुल भूमि में सम्मिलित	–	6511.75 वर्गमीटर
कक्षाओं की संख्या	–	18 कमरे
प्राध्यापक – सह कार्यालय – सह भण्डारगार के लिए कक्ष	–	उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई	–	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	–	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	–	उपलब्ध है।

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रदत्त किसी विधि अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा वितरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए (प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 12524-26 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है तो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।

16– सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

17– संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मैनपुरी।

पृष्ठांकन संख्या : /2017–18 तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा मण्डल, आगरा।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

Principal
BALAJI GLOBAL ACADEMY
Fardpur Road, Ahirwa (Mainpuri)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मैनपुरी।

Manager
BALAJI GLOBAL ACADEMY
Fardpur Road, Ahirwa (Mainpuri)